# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444


पत्रांक- 199 /12-1 , कोटबंगला दिनांक 19 / 7 /2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.316 है0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी का पत्रांक–702/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0 दिनांक 24.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है, कि गंगनानी से भंगेली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.316 है0 वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नवत् है–

| क्र. सं. | शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरणः–**<br>(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.632 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ईड गांव सिविल खसरा नं0 2852 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। | (क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 8,87,468.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा **(संलग्नक–1)**। |
| | (ख) प्रस्तावित सम्पूर्ण 2.632 है0 सिविल सोयम क्षेत्र में VDF/MDF पाया गया है। अतः सी0ए0 हेतु Degraded वन क्षेत्र में 2.632 है0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें। जहां MDF/ VDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा। | (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में सी0ए0 हेतु इस वन प्रभाग के डुण्डा रेंज अन्तर्गत धनारी क0सं0–3 में 2.632 है0 Degraded वन क्षेत्र चयनित किया गया है। जहां MDF/ VDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है **(संलग्नक–2)**। |
| | (ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामांतरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। | (ग) इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। **(खतौनी की नकल तथा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की पत्र की छाया प्रति संलग्न–3 व 4)** उक्त सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 134/12–1, दिनांक 14.07.2021 के द्वारा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को प्रेषित किया जा चुका है **(संलग्नक–5)**। |

| | | |
|---|---|---|
| | (घ) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। | (घ) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है **(संलग्नक–6)**। |
| 4 | **शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**<br>(क) इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.350 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।<br>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | (क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रू0 8,64,612.00 NPV की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है **(संलग्नक–1)**।<br>(ख) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा तथा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–7)**। |
| 5 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 122 Trees including 5 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 6 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया जायेगा। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | The provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be complied strictly by the State Govt. and User Agency. | प्रयोक्ता एजेन्सी तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण का EIA कराया जा चुका है जिसकी रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है **(संलग्नक–8)**। |
| 8 | State Government will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission. | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 9 | एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 10 | संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों से निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 11 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्त्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगें। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है **(संलग्नक–9)**। |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 13 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक सिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 14 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 15 | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 16 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 17 | इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 18 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 19 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 20 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 21 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 23 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

**संलग्न–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।

**पत्रांक / तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः–** अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को अपने स्तर से ऑनलाइन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।

तलनक -1

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

| Sno. | Proposal Detail | Application_No | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.) | Payment Status | Payment Detail | Demand Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP/UK/ROAD/34286/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34286/2018)<br><br>Gangani To Bhangeli Motor Road. | ROAD342862018359 | 6134286359 | 09 Oct 2020 | CA: 4545240/- , Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- , CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-<br>NPV: 5695300/- , Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 10240540/- | Paid | Not Done | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1111512121213UNXGVgan |
| 2 | FP/UK/ROAD/34286/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34286/2018)<br><br>Gangani To Bhangeli Motor Road. | ROAD342862018914 | 6134286914 | 09 Oct 2020 | CA: 887468/- , Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- , CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-<br>NPV: 864612/- , Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 1752080/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Jan 2021<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 18 Jan 2021<br>Transaction Date : 23 Feb 2021 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12112712421210Z460Qgar<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a pid=ROAD342862018914) |
| 3 | FP/UK/ROAD/32670/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/32670/2018)<br><br>Badsi Gaulok Dham Khand Motor Marg to Kalkhan Motor Road | ROAD326702018603 | 6132670603 | 04 Sep 2020 | CA: 2395800/- , Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- , CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-<br>NPV: 752050/- , Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 3147850/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 05 Oct 2020<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 06 Oct 2020<br>Transaction Date : 20 Jan 2021 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/101131216<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a pid=ROAD326702018603) |
| 4 | FP/UK/ROAD/33094/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/33094/2018)<br><br>Garath (Dwarikhol) to Garath link motor road | ROAD330942018521 | 6133094521 | 28 Aug 2020 | CA: 2426039/- , Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- , CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-<br>NPV: 2363558/- , Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 4789597/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 02 Oct 2020<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 06 Oct 2020<br>Transaction Date : 20 Jan 2021 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1011112471212GAYO7gara<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a pid=ROAD330942018521) |
| 5 | FP/UK/ROAD/33095/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/33095/2018)<br><br>Jogath Motor Road km.28.00 to Jogath Talla Motor Road | ROAD330952018165 | 6133095165 | 17 Dec 2019 | CA: 1809146/- , Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- , CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-<br>NPV: 2493595/- , Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 4302741/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 22 Jan 2020<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 23 Jan 2020<br>Transaction Date : 10 Feb 2020 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1112012191215NET1G3309<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a pid=ROAD330952018165) |

(संलग्नक-2)

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के आदेश सं0–1331/8–1(2), दिनांक 01.02.2020 के द्वारा जारी निर्धारित दरों के अनुसार तैयार किया गया।

# क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु योजना का प्राकल्लन ।

**परियोजना का नाम** :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.316 है0 आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यार्वतन के सम्बन्ध में।

**वृक्षारोपण स्थल का नाम** :– अवनत आरक्षित वन भूमि धनारी क0सं0–3 **वृक्षा0 क्षे0फ0** :– 2.632 है0।

जी0पी0एस0 N 30°37' 8.77" & E 78°23' 5.93"

## वृक्षारोपण व्यय प्रति है0 (1000 पौध)

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | मात्रा | इकाई | दर | प्रति | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | प्रथम चरण :– अग्रिम मृदा कार्य। | | | | | |
| 1 | सर्वे एवं सीमांकन | 1 | है0 | 181.00 | है0 | 181.00 |
| 2 | क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि) | 1 | है0 | 5436.00 | है0 | 5436.00 |
| 3 | दीवालबन्दी (फन्सिंग) 150 रनिंग मी0 150x0.60+0.45/2x1.20=94.50M³ | 1 | है0 | 37705.00 | है0 | 37705.00 |
| 4 | गड्डा खुदान (0.30×0.30×0.45) | 1000 | गढ्ढे | 11.42 | गढ्ढा | 11420.00 |
| 5 | निरीक्षण बटिया बनाना | 1 | है0 | 1095.00 | है0 | 1095.00 |
| 6 | पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत पॉलोथीन वैग पौधरोपण हेतु | 1000 | पौध | 9.75 | पौध | 9750.00 |
| 7 | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य। | 1.0 | है0 | 10000.00 | है0 | 10000.00 |
| 8 | अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय | 1.0 | है0 | 1000.00 | है0 | 1000.00 |
| | **योग :– प्रथम चरण** | | | | | **76587.00** |
| | द्वितीय चरण :– रोपण कार्य। | | | | | |
| 1 | पौधों का रखरखाव (द्वितीय वर्ष) | 1000 | पौध | 1.89 | पौध | 1890.00 |
| 2 | पौध ढुलान मय 10 प्रतिशत ढुलान में क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी व 75 प्रतिशत बैग पौध लदाई व उतराई सहित। | 1000 | पौध | 7.79 | पौध | 7790.00 |
| 3 | कंकड़ पत्थर छानकर गड्ढ़ों का खाद/किटनाशक मिलाकर भरान करना। (0.30×0.30×0.45) | 1000 | गढ्ढे | 2.04 | गढ्ढा | 2040.00 |
| 4 | पौधरोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित। | 1000 | पौध | 3.84 | पौध | 3840.00 |
| 5 | रासायनिक खाद 25 ग्रा0 प्रति गड्ढ़ा/किटनाशक 16/–कि0 | 1000 | पौध | 1.35 | पौध | 1350.00 |
| 6 | निराई–गुडाई व मल्चिंग (दो बार) | 1000 | पौध | 5.05 | पौध | 5050.00 |
| 7 | रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय | 1 | है0 | 7725.00 | है0 | 7725.00 |
| 8 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| 9 | अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो, तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य | 1 | है0 | 1700.00 | है0 | 1700.00 |
| | **योग :– द्वितीय चरण** | | | | | **32069.00** |
| | तृतीय चरण :– अनुरक्षण प्रथम वर्ष | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | है0 | 10300.00 | है0 | 10300.00 |
| 2 | निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य | 1000 | पौध | 2.53 | पौध | 2530.00 |
| 3 | वनीकरण क्षेत्रों में रोपित पौधों की सिंचाई। | 1000 | पौध | 1.50 | पौध | 1500.00 |
| 4 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| | **योग :–** | | | | | **15014.00** |
| | चतुर्थ चरण :– अनुरक्षण द्वितीय वर्ष | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | है0 | 10300.00 | है0 | 10300.00 |
| 2 | निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य | 1000 | पौध | 2.53 | पौध | 2530.00 |
| 3 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| | **योग :–** | | | | | **13514.00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **पंचम चरण :– अनुरक्षण तीतृय वर्ष** | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त तृत्तीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | है0 | 10300.00 | है0 | 10300.00 |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| | **योग :–** | | | | | **10984.00** |
| | **षष्ठम चरण :– अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष** | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त चतर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | है0 | 10300.00 | है0 | 10300.00 |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| | **योग :–** | | | | | **10984.00** |
| | **सप्तम चरण :– अनुरक्षण पंचम वर्ष** | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | है0 | 10300.00 | है0 | 10300.00 |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| | **योग :–** | | | | | **10984.00** |
| | **अष्ठम चरण :– अनुरक्षण षष्ठम वर्ष** | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | है0 | 10300.00 | है0 | 10300.00 |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| | **योग :–** | | | | | **10984.00** |
| | **नवम चरण :– अनुरक्षण सप्तम वर्ष** | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | है0 | 10300.00 | है0 | 10300.00 |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| | **योग :–** | | | | | **10984.00** |
| | **दशम चरण :– अनुरक्षण अष्ठम वर्ष** | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | है0 | 10300.00 | है0 | 10300.00 |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| | **योग :–** | | | | | **10984.00** |
| | **एकदशम चरण :– अनुरक्षण नवम वर्ष** | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | है0 | 10300.00 | है0 | 10300.00 |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| | **योग :–** | | | | | **10984.00** |
| | **द्ववदशम चरण :– अनुरक्षण दशम वर्ष** | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | है0 | 10300.00 | है0 | 10300.00 |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 | है0 | 684.00 | है0 | 684.00 |
| | योग :– | | | | | **10984.00** |
| | कुल योग :– | | | | | **225056.00** |

**नोट :– प्रभाग के आगणन अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि 230025.00 है, किन्तु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश सं0–972/3–5–2 दिनांक 21.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोप्रण हेतु धनराशि मु0–3,37,184.00 निर्धारित की गई है। अतः क्षति0 वृक्षा0 की धनराशि मु0–3,37,184.00 से निकाली जा रही है।**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंगणित कुल व्यय प्रति है0 = 3,37,184.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 2.632 × 3,37,184.00 = 8,87,468.00रू0

**Or Say = 8,87,468.00 Rs.**

Checked For Rs. 887468/-

Draftman
Uttarkashi Forest Division
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
डुण्डा वन राजि

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

संलग्नक - 3वा

# कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्याः 5336 /ग्यारह- 06 (2020-21) दिनांक 18 जून,20

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिचाई खण्ड,उत्तरकाशी।

**विषयः-** **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गंगनानी से भंगो मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषक अपने पत्र संख्याः 691/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0 दिनांक 23 मा 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति प्राप्त गंगनानी से भंगोली मोटर मार्ग हेतु सैद्धतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 के अनुस 1.316 हे0 वनभूमि के एवज मे दुगुनी सिविल सोयम भूमि 2.632हे0 भूमि का नामान्तरण ए हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.632 हे0 भूमि चयनित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उप जिलाधिकारी,भटवाड़ी को पत्र प्रेषित किया गया। उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी द्वारा अपने पत्र संख्याः 23/राका0/दै0अ0प0/2020-21 दिनांक 21.05.2021 के अवगत कराया है कि उक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ईड (धनारी)तहसील डुण्डा के ख0सं0 2852 रक्वा 2.632हे0 भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु अब्बल ही पूर्व में स्वीकृत किया गया है। प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा एवं खतौनी तहसील डुण्डा के अन्तर्गत स्थित राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ढुंगी से तैयार किया जाना है, जिस कारण उक्त प्रकरण उप जिलाधिकारी,डुण्डा को प्रेषित किया गया। उप जिलाधिकारी,डुण्डा ने अपने पत्र संख्या:172/रा0का0-क्षतिपूरक वृक्षा0/2021-22 दिनांक 31 मई,2021 के द्वारा अगवत कराया है कि तहसील डुण्डा अन्तर्गत ग्राम ईड मध्ये खसरा संख्याः 2852 का कुल रक्वा 2.717 हे0 भूमि भू-अभिलेखो में दर्ज है, जो कि वर्तमान में श्रेणी-8 भूमि जो सरकारी विभागों के अधिकार में हो, में अब्बल ही वन विभाग के नाम दर्ज अभिलेख है, जिसके साक्ष्य में उनके द्वारा उपरोक्त भूमि के नक्शा, खसरा एवं खतौनी संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

अतएव उप जिलाधिकारी,डुण्डा द्वारा प्रस्तुत नक्शा/खसरा एवं खतौनी की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः तद्नुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

**प्रतिलिपिः** प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग,कोटबंगला, उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि गंगानानी से भंगोली मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि की दोगुनी भूमि अब्बल ही विभाग के नाम पूर्व में दर्ज की गयी है। कृपया अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

5336 18/6/2021

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

D.M.-8979
4/6/2021

प्रेषक

तहसीलदार
डुण्डा

सेवामे

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

द्वारा:-     उपजिलाधिकारी डुण्डा ।

संख्या 1712 /र0का0–क्षतिपूरक वृक्षा0/2021–22     दिनांक 31 मई 2021

विषय:-     जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त गंगनानी से भंगेली मोटरमार्ग के निर्गाण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतू भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के पत्र संख्या 4590/ग्यारह –03 (2018–19) दिनांक 17 अप्रैल 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त गंगनानी से भंगेली मोटरमार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतू पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्राम ईड़ तहसील डुण्डा मध्ये खसरा नम्बर 2852 रकवा 2.632 हे0 भूमि स्वीकृत की गई है, तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत भूमि का नक्शा, खसरा व खतौनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रंम मे अवगत कराना है कि तहसील डुण्डा अन्तर्गत ग्राम ईड मध्ये खसरा संख्या 2852 का कुल रकवा 2.717 हे0 भू–अभिलेखों मे दर्ज है, जो कि वर्तमान मे श्रेणी –8 भूमि जो सरकारी विभागों के अधिकार मे हो, मे अब्बल ही वन विभाग के नाम दर्ज अभिलेख है जिसकी खतौनी नकल, नक्शा, व खसरा अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्नः– यथोक्त।

तहसीलदार
डुण्डा।

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

महोदय

तहसीलदार डुण्डा की जांच आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित

उपजिलाधिकारी
डुण्डा, उत्तरकाशी
01/06/2021

ना खसरा ग्राम ईड पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जनपद उत्तरकाशी

| खसरा संख्या | रकबा (है. मे) | खाता खतौनी संख्या | खातेदार का नाम | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | | | | वन विभाग |
| 2852 | 2.717 | 9 (NZA) | उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 8 - भूमि जो सरकारी विभागों के अधिकार मे हो ) | |
| योग | 2.717 | | | |

तैयारकर्ता
Neetu
31-5-21
RSI DAYMA

... हेतु प्रस्तावित है

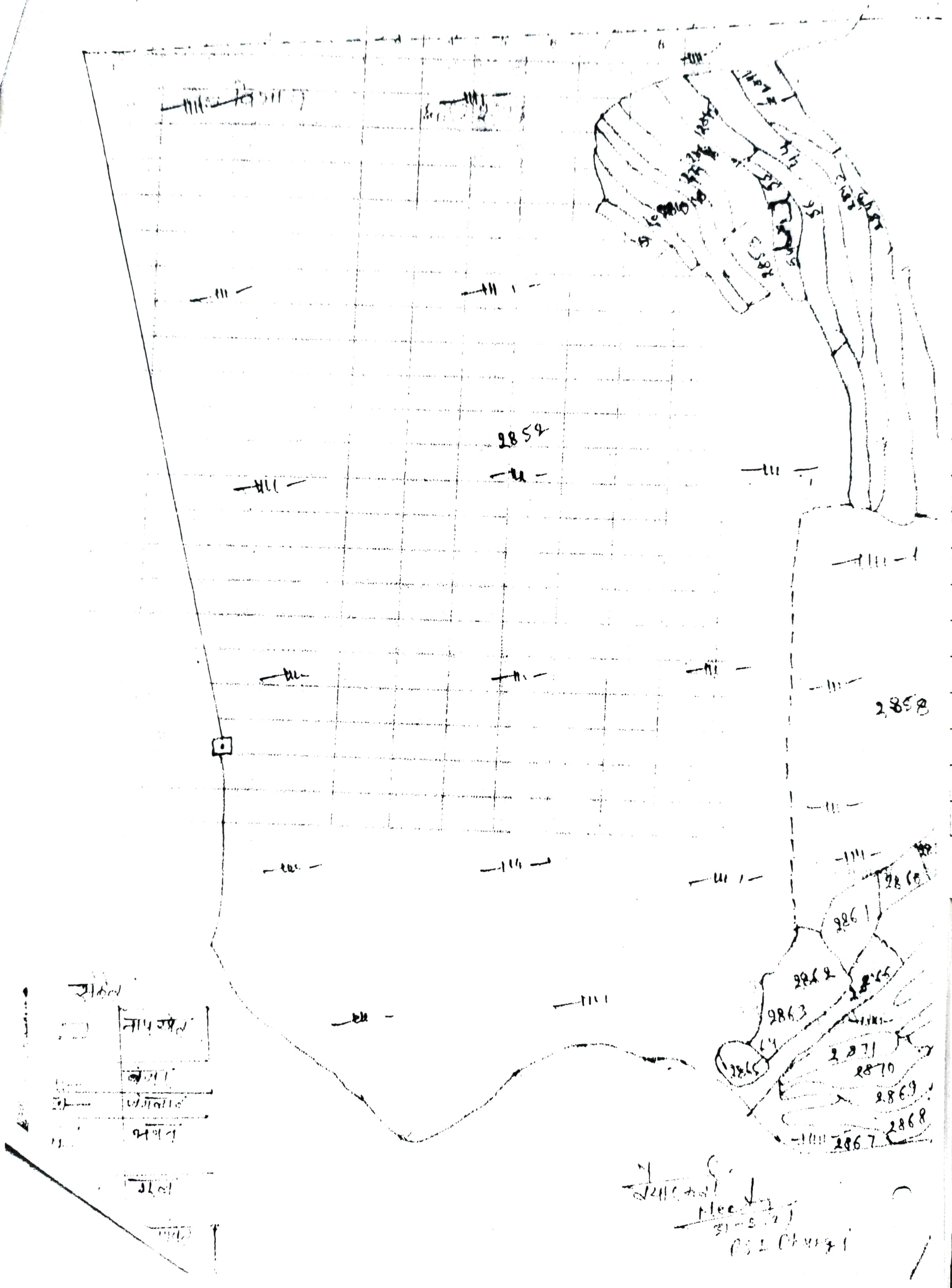

भूलेख प्रपत्र सं० प–11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रेणी वर्ग 8- भूमि जो सरकारी विभागों के अधिकार में है | | | | | | | |
| 9- | वन विभाग | | | | | | |
| | | | 2852 | 2.717 | | | |
| | श्रेणी का योग — | | 1 | 2.717 | x | x | |

असल से नकल का तैयार मिलान: प्रमाणित सत्यापित

Neetu

-5-21

RSI Dhungi

लेखा प्रपत्र सं० क-11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ग 8- भूमि जो सरकारी विभागों के अधिकार में है | | | | | | | |
| 1- | वन विभाग | | 2852 | 2.717 | | | |
| | खाते का योग — | | 1 | 2.717 | | | |

2-7-2021

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र
तहसील डुण्डा उत्तरकाशी

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अवल से नकल को तैयार किया। | | | | | | |

क्षेत्रीय सत्यापित
2-5-21
RSI डुण्डा

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

(संलग्नक-15)

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

**E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444**

पत्रांक– 134 /12–1, कोटबंगला, दिनांक 14/07/2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.316 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या – FP/UK/ROAD/34286/2018।

संदर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–1911/1जी–5070 दिनांक 15.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 1.316 है0 के एवज में 2.632 है0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है। कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या 5356/ग्यारह–06 (2020–21) दिनांक 18 जून, 2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–वर्ग 8 जो सरकारी विभागों के अधिकार में हो, की तहसील डुण्डा अन्तर्गत ग्राम ईड मध्ये खसरा नं0 2852 रक्वा 2.717 है0 भूमि अब्बल ही भू–अभिलेखों में वन विभाग उत्तराखण्ड के नाम दर्ज है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित 2.632 है0 सिविल सोयम भूमि को **"भारतीय वन अधिनियम 1927" यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम सं0–16 वर्ष 1927) की धारा–29** के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाना है। उक्त हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यदि आप सहमत हो तो उक्त अधिसूचना का ड्राफ्ट शासन को प्रेषित करना चाहें।

**संलग्नकः–**
1. **अधिसूचना का ड्राफ्ट।**
2. **कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र की छायाप्रति।**
3. **खाता खतौनी की छायाप्रति।**

भवदीय,

**(पुनीत तोमर)**
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

संख्या– 134 /12-1 तददिनांकित।

**प्रतिलिपि** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**(पुनीत तोमर)**
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–02
संख्या– / ...............................
देहरादून : दिनांक :– / / 2021

# अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा–29 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के प्रयोगार्थ निम्नलिखित अनुसूची में दिये गये पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.316 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र, जो राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी– वर्ग 8 सिविल सोयम भूमि क्षेत्रफल 2.632 है0 भूमि है, को संरक्षित वन घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

| क्र0 सं0 | जनपद | ग्राम | खसरा संख्या | कुल क्षेत्रफल (है0) | चयनित क्षेत्रफल (है0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तरकाशी | ईड | 2852 | 2.717 | 2.632 |
| | | | योग :– | **2.717** | **2.632** |

उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी मौके पर भूमि चिन्हित एवं सीमांकित कर प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी अपने कब्जे में प्राप्त कर अभिलेखों में दर्ज करें।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या :– /X-2-2020-15(29)/2002, तद्दिनाँकित।

**प्रतिलिपि** : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
7. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
9. उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड बुक।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

(संलग्नक-16)

परियोजना का नाम

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में गंगनाणी से मंगेली मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.316 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यापर्ण के सम्बन्ध में

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है,कि उक्त परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 31 / 2020 / एफ0सी0 / 1511 दिनांक 6.10.2020 से सैन्द्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उपरोक्त योजना के बदले डुण्डा रेंज के अर्न्तगत ग्राम ईड़ धनारी के सिविल सोयम भूमि खसरा संख्या–2852 में रकवा 2.632 है0 क्षेत्र चयनित किया गया है। उक्त चयनित क्षेत्र में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है और ना ही प्रस्तावित है। चयनित क्षेत्र में विषयगत परियोजना के तहत ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

राजस्व उप निरीक्षक,
ढुंगी (धनारी) तहसील डुण्डा,
उत्तरकाशी ।

वन क्षेत्राधिकारी,
डुण्डा वन राजि।

C/S

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

(संलग्नक-7)

# वचन बद्धता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम–उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग निर्माण का कार्य हेतु वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

## एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 864612.00 मात्र याचक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोत्तरी की जाती है जो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।

**अपर सहायक अभियन्ता**
**पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0**
**उत्तरकाशी**

**सहायक अभियन्ता**
**पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0**
**उत्तरकाशी**

**अधिशासी अभियन्ता**
**पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0**
**उत्तरकाशी**

(संलग्नक-08)

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
# उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
# देहरादून

भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या ए0जी0– 358 सड़क/पुल/सम्रेखण/उत्तराखण्ड/गढ़वाल–2020

**Environmental Impact assessment of the alignment corridor proposed for the construction of 2.30 km long Gangnani-Bhangeli motor road, in Bhatwari block, distt. Uttarkashi**

10 दिसम्बर 2020

## Environmental Impact assessment of the alignment corridor proposed for the construction of 2.30 km long Gangnani-Bhangeli motor road, in Bhatwari block, distt. Uttarkashi

*Shiv Kumar Rai*

10-12-2020

1. **Introduction:-** The PMGSY division, ID, Uttarkashi, has been instructed for the construction of 2.30 km long remaining porting of Gangnani-Bhangeli m/r originating from the end point of previously constructed Gangnani-Bhangeli m/r motor road, in Bhatwari block, distt. Uttarkashi. The geological assessment report for the above mentioned alignment has already been submitted by Shri (Retired) Harsh Kumar, Senior Geologist, PWD with report no. भू–गर्भीय आख्या संख्या–37/1981/09. But, as the alignment falls in the Bhagirathi Eco Sensitive zone(BESZ), dist. Uttarkashi, it is said to incorporate the Environmental impact assessment(EIA) report as per the guidelines of Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional office(North Central Zone), Dehradun. With letter refrence no. 1618/P.M.G.S.Y/I.D dated 07.11.2020, Er S.L.Kuriyal, Executive Engineer requested to the undersigned for the environmental impact assessment of the above mentioned alignment in response to which I carried out the same on 11.11.2020 in presence of Er. Subhasish Rana, Assistant Engineer and Er. Manish Rana, Addnl. Assistant Engineer, PMGSY, I.D, Uttarkashi, dist. Uttarkashi.

2. **Location:-** The alignment corridor proposed for the construction of this road originates from the end point of the previously constructed Gangnani-Bhangeli motor road in

**Continued to page 2....**

Bhatwari block, Gangotri constituency, distt. Uttarkashi.

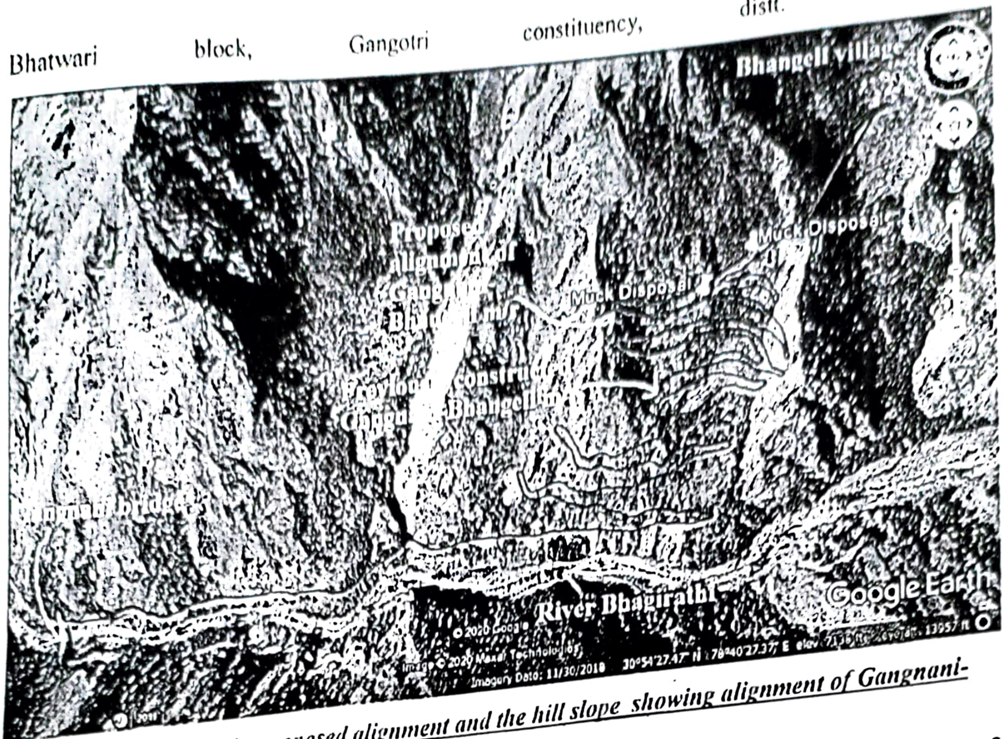


*Google earth view of the proposed alignment and the hill slope showing alignment of Gangnani-Bhangeli m/r*

**3. Observation:-** Uttarkashi and its surrounding enviorns lies in a part of the northern lands of Lesser Himalaya and tectonically situated very near to the zone of Main Central Thrust (MCT) which is a major tectonic lineament. In and nearby the Gangnani, the Crystalline gneisses is exposed as a bed rock with varing thickness of soil cover over it. The alignment passes across the hill slopes on which these villages are situated are inclined at 25° to 30° angle and these are formed of rocks which are largely covered by the residual soils formed of angular rock boulders embedded in plastic clays. The entire area through which the road passes comprises detached huge angular boulders scattered over the ground and embedded in sandy-silty matrix ground which signifies a chronic landslide zone which is in dormant(stable) stage with basement of central crystalline gneisses. These rocks exposed in this segment of Himalaya has undergone multi-phase deformation in the brittle and semi-ductile forms hence, these are folded, faulted and traversed by many linear discontinuities. Geologically, the ground forming rocks in and around village Bhangeli is comprised of heterogeneous nature as the quartzite which are physically strong while the alteration of chlorite schist are very poor in strength competence.

The surrounding area of the proposed alignment have undergoes various tectonic phase of movements therefore, the rock along the proposed alignment have been sheared, scattered and distressed. The Uniaxial Compressive Strength (UCS) of the exposed outcrop was estimated manually by hammer blow method ranging between 150 M Pa to 180 M Pa.

**Continued to page 3...**

Scanned by CamScanner

By and large the alignment slopes are stable and presently free form any major active landslide/mass wasting activities.

## 4.Environmental impact assessment study of the project :-

The Environmental Impact Assessment study(in brief) of the above mentioned motor road has been carried out as per terms of reference of Road Infrastructure and Development in Bhagirathi Eco sensitive Zone and guidelines given by the Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

The project road originates from the end point of previously constructed 4.60 km long Gangnani-Bhangeli m/r comprising 4 HP bends which ultimately joins to village Bhangeli, in Bhatwari block, distt. Uttarkashi.

## Environmental assessment Profile

**Physical Environment:-** The climate of the project district is mainly of cold and temperate type and major part of the project district experiences cold and thick rainfall in summer.

a. **Slope:-** The alignment passes across the gentle hill slope with slope angle 20°-35° varying from place to place.
b. **Landslide :-** The proposed stretch of the hill slope is a chronic landslide zone which can be easily visualized by the huge detached angular boulders embedded into the ground but now in dormant stage.
c. **Temprature :-** June is the hottest month with a max. temprature of 20-25°C and minimum is 0-2 °C and the mean (max) is 15°C.
d. **Rainfall:-** About 75.00% of the annual rainfall is received during June to September, while 5.00% is received in October and November during the period of retreating monsoon. In a year, the rainfall recorded as 1693 mm.
e. **Seismicity:-** The entire stretch of the project traverses through sub category seismic zone IV of seismic zoning classification map of India.
f. **Water Hydrology and Drainage:-** Whole along the alignment, there is no manmade water tank, natural spring, seasional gadera exist. Construct gabion nala below the road by the local masonary stones is essential to avoid any diversion in the course of the stream, if found post-cutting.
g. **Noise:-** The potential noise related issue during construction of the project is disturbance to sensitive receptors in the Project area. The main sources of noise and vibration during

**Continued to page 4...**

अधिशासी अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं वि...
लो० नि० वि०, देहरादून

construction of the project included; a) Construction machinery, b) Drilling activities, c) Haulage and general vehicle movements, d) Concrete mixing and aggregate production systems; and e) Construction Camps / Ancillary Facilities.

h. **Road cutting technique:-** Due to the gentle hill slope, the road can be cutted by box like cutting full excavation method. There should be the provision of retaining and breast wall wherever required with competent basement only due to the site fall across the chronic slip zone which is now in dormant stage.

i. **Muck disposal:-**As per the Forest Conservation act,1980, The volume of muck as assessed by the concerned division, there are 2 points(named point A and Point B) for the muck disposal has been proposed while cutting of the above mentioned road as mentioned below. Also, construct gabion wall/wire crate wall at the toe of the dumping slope to avoid spread of muck :-

| | **Longitude** | **Latitude** |
|---|---|---|
| **Point A :-** | 78°40'25.373" E | 30°54'44.462"N(x-section=0/19-20) |
| **Point B :-** | 78°40'23.143" E | 30°54'48.257"N(x-section=1/20-21) |

j. **Community Health and Safety :-** Construction activities may result in an increase in road traffic accidents between vehicles, pedestrians and vehicles and livestock and vehicles. There will also be short term impacts to noise and air quality, which may impact upon health. Migrant workers may also increase community health and safety risks, for example, recent pandemic COVID 19.

k. **Education, Health and safety:-** Construction of the road will result in numerous beneficial health and safety impacts, including faster emergency response times and connects the village to road.

l. **Air Quality:-** The main source of air pollution during the operational phase will be operation of machinery while road cutting. The main pollutants are: CO, $NO_X$, hydrocarbons (HC), $SO_2$, carbon dioxide ($CO_2$), and particulate matter (PM). In addition to the fact that the maximum allowable limits are not surpassed, it must be taken into account that the road provides benefits in term of vehicular emission due to the smoother drive and optimized alignment.

m. **Waste Management:-** The Contractor shall prepare and submit a waste management plan outlining measures to manage and disposal of all waste streams, including hazardous waste and methods for recycling waste. The plan will clearly identify how and where hazardous wastes will be disposed off.

n. **Construction Camp:-** Even though local labour would be employed to the extent possible, the number of activities would require specialized skilled labour e.g.operator of the vehicle and machinery, skilled crews for specialised operations e.g.bar-bending and casting. These labours in most cases would be migrant from other parts of Uttarakhand/Nepal or other states. The Contractor would setup a construction camp for the accommodation of the workers.

**Continued to page 5....**

सहायक भूवैज्ञानिक
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो० नि० वि०, देहरादून

Scanned by CamScanner

o. **Hot Mix Plant**:- For the manufacturing of the bituminous material, the Contractor would setup a Hot mix Plant. The plant would be setup considering the sitting guidelines specified by regulatory authorities.

## Biological Environment:-

a. **Forest Resources**:- The alignment of the proposed road passes along patches of forest lands at alignment is likely to directly impact the Forest area in dist. Uttarkashi. The total forestland required for the project is 1.316 ha. There are no national park, reserve forest and wildlife sanctuary located within the project area. Trees along the alignment with endangered flora has been reported along the roadside to the officials of the concerned department. The trees that are to be felled have been marked and jointly verified with forest department on 19.05.2016 where total number of trees is 122 belongs to banj and pine species.

b. **Fauna** :- Domestic animals mainly constitute the faunal population within the project area. The forest department have reported the presence of deer, wild pig and monkey in the forest areas within the project area, however no such species were reported during the site reconnaissance and survey.

## 5.Recommendations:-

1. Construct the road by bench like box cutting full excavation techniques and compact the fill material properly by dynamic compaction.

2. The side hill slopes of the road must be protected by suitably designed retaining walls/ breast walls wherever required with competent basement only.

3. To reduce the condition of water percolation/infilteration which reduces the interlayer shearing strength and facilitate ground movement /slip/subsidence, construct extra large lined drain all along the hill side of the road and make adequate cross drainage arrangements. The cumulative rain water run-off from this road and its upslope catchment should not allow to flow freely over the lower hill slope. The drainage work must be taken up immediately after the excavation of the hill slopes

4. As per Environmental aspect, carry out the work of Afforestation in the upslope and downslope along the road post-construction activity. The vegetation will favour the hill slope stability by deep penetration of root and bindup of soil.

5. Do not dispose the excavated waste on the lower slopes other than the muck disposal site, as it may damage the lower slopes and favours hill slope instability and damage the vegetation. If disposed, the concerned department should implement strick penalty as per the guidelines over muck disposal .

अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो० नि० वि०, देहरादून

6. Blasting is strictly prohibited considering the road is passing across the chronic landslide zone which is now in dormant stage. It will also disturb(noice pollution) to the existence of wildlife in the forest. If unavoidable, silent/control blasting can be carried out as a last priority.

7. All the construction activity must be carried out as per the standard codes of practice laid by the BIS and MORTH/MORD.

**(Shiv Kumar Rai)**
**Astt. Geologist**
**Office of the Engineer in Chief**
**PWD, Dehradun**

(संलग्नक-1)

**शर्त संख्या–11**

परियोजना का नाम–जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से मंगेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.316 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/34286/2018)।

शर्त संख्या–11 के में यदि आवष्यक होगा तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
उत्तरकाशी

## वचन बद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग (लम्बाई 2.300 किमी0) के निर्माण के पश्चात जहां जहां पर सम्भव हो सके, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation (पथ वृक्षारोपण) किया जायेगा।

**अपर सहायक अभियन्ता**
**पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0**
**उत्तरकाशी**

**सहायक अभियन्ता**
**पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0**
**उत्तरकाशी**

**अधिशासी अभियन्ता**
**पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0**
**उत्तरकाशी**